



## झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

### वार्षिक इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, 2017 से संबंधित आवश्यक सूचना

**विज्ञप्ति संख्या - 89/2016**

एतद् द्वारा सभी कोटि के महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य एवं वर्ष 2017 इंटरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित प्रपत्रादि के वितरण तथा पूर्ण रूपेण भरे हुए परीक्षा प्रपत्रों को परिषद् कार्यालय में जमा करने संबंधी विस्तृत विवरणी इस प्रकार है :-

- (1) संबंधित महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य/प्रधानाचार्य के द्वारा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत शिक्षक/कर्मों के माध्यम से ही पूर्ण रूप से भरे हुए परीक्षा प्रपत्र परिषद् कार्यालय में जमा करने की अवधि निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

जिला का नाम	भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र महाविद्यालय में जमा करने की तिथि		भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् में जमा करने की तिथि (संख्या 5:00 बजे तक)	
	बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क के साथ	बिना विलम्ब शुल्क के	विलम्ब शुल्क के साथ
गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, खुंटी, पलामू, दुमका, देवघर, पाकुड़	09.01.2017	17.01.2017	12.01.2017	19.01.2017
राँची, कोडरमा, रामगढ़, सिमडेगा, गिरिडीह, चतरा, लोहरदगा, धनबाद, गढ़वा, लातेहार, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा	09.01.2017	17.01.2017	13.01.2017	20.01.2017

संथाल परगना प्रमण्डल के अन्तर्गत संबंधित महाविद्यालय/+2 विद्यालय परीक्षा प्रपत्र क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका से प्राप्त कर उपर्युक्त निर्धारित तिथि के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के अन्तर्गत अवस्थित महाविद्यालय/+2 विद्यालय परीक्षा प्रपत्र प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से प्राप्त कर निर्धारित तिथि के अनुसार प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में ही जमा करेंगे।

- (2) परीक्षा प्रपत्रादि भरने के संबंध में जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो सकते हैं, जिसकी सारी जिम्मेवारी परीक्षार्थी एवं संबंधित महाविद्यालय के प्रधान की होगी।
- (3) परीक्षा प्रपत्र में विषयों के संकेताक्षर (Subject Code) का उल्लेख होना अनिवार्य है। संकेताक्षर परीक्षा प्रपत्र में मुद्रित है, जिसके आधार पर ही परीक्षार्थी परीक्षा प्रपत्र में अपने विषय अंकित करेंगे। ध्यान रहे कि सूचीकरण स्लीप में जो विषय अंकित होगा, उसी विषय को परीक्षा प्रपत्र में अंकित करेंगे अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने के बावजूद भी वह मान्य नहीं होगा।
- (4) परीक्षार्थी किसी एक ही भाषा अंग्रेजी 'ए' या हिन्दी 'ए' को कोर एवं इलेक्टिव के रूप में चयन नहीं कर सकते हैं तथा अतिरिक्त विषय के रूप में (व्यावसायिक विषय छोड़कर) प्रायोगिक विषय का चयन नहीं करेंगे।
- (5) इंटरमीडिएट परीक्षा में भाषा विषयों को छोड़कर गैर भाषायी विषयों की परीक्षा का माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला एवं उड़िया है। अतएव दूसरी भाषा में परीक्षा लिखना वर्जित है।
- (6) वर्ष 2017 के इंटर परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र के साथ सूचीकृत किए गए नियमित/स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के समेकित विवरणी दी जा रही है।

(क) विवरणी "ए" एक प्रति में मुद्रित है, जिसमें छात्र/छात्रा का फोटो के साथ-साथ पूर्ण विवरणी है। परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि को यह सूची वापस कर देंगे।

(ख) विवरणी "बी" दो प्रतियों में मुद्रित है, जो कि फोटो रहित है। परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि के साथ इसकी एक प्रति परिषद् को वापस करेंगे तथा दूसरी प्रति महाविद्यालय में रखेंगे।

(ग) यदि सूचीकरण स्लीप में किसी तरह का संशोधन(यथा- नाम/पिता का नाम/माता का नाम/विषय/फोटो)की आवश्यकता हो, तो परिषद् कार्यालय से दिनांक 10.01.2017 तक संशोधन अवश्य करा लिया जाए। महाविद्यालय द्वारा किया गया संशोधन मान्य नहीं होगा।

- (7) सूचीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम में ही परीक्षा आवेदन प्रपत्र रखा जाय। जो छात्र परीक्षा प्रपत्र नहीं भरेंगे उन्हें अंतिम तिथि के समाप्त होने पर विवरणी 'ए' एवं 'बी' में उक्त सूचीकरण संख्या को Dropped दर्शाया जाय तथा Dropped किए गए छात्र/छात्राओं की एक सूची प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित अलग से जमा किया जाय। विवरणी 'ए' एवं 'बी' परिषद् कार्यालय में प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित करके भेजा जाय।
- (8) पूर्ववर्ती छात्र/छात्रा के परीक्षा आवेदन प्रपत्र एवं समेकित विवरणी पूर्व वर्ष की तरह अलग से तैयार की जाय।

- (9) किसी भी स्थिति में महाविद्यालय/+2 विद्यालय के द्वारा वैसे परीक्षार्थी का आवेदन प्रपत्र अप्रसारित नहीं किए जायें जिनका सूचीकरण उक्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय से नहीं हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उस महाविद्यालय/+2 विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई हेतु विश्वविद्यालय/राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा।
- (10) महाविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र एवं समेकित विवरणी, न्यूमेरिकल के साथ प्रभारी प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा जिसमें इस बात का उल्लेख रहेगा कि उपर्युक्त निर्देशों का पालन किया गया है।

- (11) सभी महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि बचे हुए सादे परीक्षा प्रपत्र भरे हुए प्रपत्रों के साथ परिषद् कार्यालय में जमा कर दें या उनका शुल्क परिषद् कार्यालय में जमा करें अन्यथा संबंधित महाविद्यालय/+2 विद्यालय के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र रोक दिया जायेगा।
- (12) सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि नियमित/पूर्ववर्ती/समुन्नत छात्र/छात्राओं की शुल्क की राशि अलग-अलग ड्राफ्ट एवं चालान के माध्यम से परिषद् कार्यालय में जमा किया जाय।

- (13) (क) शुल्क, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो "JAC FUND" के नाम से देय होगा, जमा किया जाएगा। (ख) बैंक ड्राफ्ट राँची, दुमका एवं डाल्टेनगंज में भुगतान होगा। (ग) CTS बैंक ड्राफ्ट ही बैंक से मांग करेंगे। (घ) डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।

#### प्रति परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क की विस्तृत विवरणी

- 1) परीक्षा प्रपत्र शुल्क - ₹75.00      2) परीक्षा शुल्क(पूर्ण परीक्षा) - ₹200.00      3) औपबंधिक प्रमाण पत्र - ₹75.00  
4) अंक पत्र - ₹75.00      5) प्रव्रजन प्रमाण पत्र - ₹75.00      6) लोकल लेवी - ₹250.00  
7) विलम्ब शुल्क - ₹275.00      8) विविध शुल्क - ₹25.00      9) परीक्षा शुल्क(Qualifying)- ₹100.00  
(14) अनुजाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं (केवल नियमित) को परीक्षा शुल्क ₹200.00 देय नहीं होगा। अन्य शुल्क सामान्य परीक्षार्थियों की तरह देय होगा। सामान्य वर्ग की छात्राओं (केवल नियमित) को परीक्षा शुल्क ₹200.00 देय नहीं होगा। **स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र को वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2017 के लिए परीक्षा शुल्क ₹200.00 देय होगा।**

- (15) स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत् नियमित छात्राओं को वार्षिक इंटर परीक्षा, 2017 के लिए परीक्षा शुल्क ₹200.00 देय नहीं होगा।

- (16) ऐसे छात्र/छात्रा जो सत्र 2004-06 से 2012-14 तक पंजीकृत परीक्षार्थियों की सूचीकरण अवधि समाप्त हो गयी है, उसके लिए परीक्षा आवेदन पत्र के साथ सूचीकरण प्रपत्र शुल्क (₹70.00) एवं सूचीकरण शुल्क (₹200.00) कुल ₹270.00 प्रति परीक्षार्थी अलग ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। परीक्षा शुल्क सामान्य छात्र/छात्रा के अनुसार ही देय होगा तथा पंजीयन आवेदन प्रपत्र के साथ पूर्व में निर्गत सूचीकरण स्लीप की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा इसे रद्द कर दिया जायेगा।

- (17) **Qualifying Examination in One Subject- As per section 42 of Regulation of Examination**

A Candidate who has passed Intermediate Examination in Arts, Science or Commerce may if he/she so desires, appear in any **one subject** of the Intermediate Examination under this Regulation **other than the subject in which he has already passed and if he/she secures at least the minimum pass marks prescribed for the subject he/she shall be given a certificate to the effect that he/she has passed in the subject.** Attendance at lectures and tutorials shall not be compulsory.

Provided that if such a candidate offers a subject in which practical examination is prescribed (other than Music and Home Science) **he/she shall be required to complete a regular course of practical work for a period of at least one year** in any Institution recognized by the Council and to produce a certificate from the principal of the Institution to that effect.

- (18) पूर्ववर्ती छात्र/छात्रा जो Qualifying परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनका आवेदन प्रपत्र एवं समेकित विवरणी अलग से तैयार कर परिषद् को उपलब्ध कराया जाय।

समुन्नत परीक्षा, 2017 के परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने एवं जमा करने हेतु तत्सम्बन्धी नियम संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत है:-

#### Improvement of Performance

- A candidate who has passed an examination of the Council may **re-appear for improvement of performance in one or more subjects in the main examination in the succeeding year only.** He will appear as a private candidate with his original registration number of the Council.
- Those re-appearing for the whole examination may, however, appear as regular candidates also, if admitted by the School/+2/Intermediate College as regular student.
- A candidate appearing for improvement in subject(s) involving practical shall appear only in theory and previous practical marks shall be carried forward and accounted for.
- A candidate appearing for improvement of performance shall be issued only Statement of marks reflecting the marks obtained at the improvement examination in the subject(s).

**N.B.:** Improvement examination can not be allowed for any subject in which the candidate had failed.

जिला का नाम	भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र महाविद्यालय में जमा करने की तिथि		भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् में जमा करने की तिथि (संख्या 5:00 बजे तक)	
	बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क के साथ	बिना विलम्ब शुल्क के	विलम्ब शुल्क के साथ
गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, खुंटी, पलामू, दुमका, देवघर, पाकुड़	09.01.2017	17.01.2017	12.01.2017	19.01.2017
राँची, कोडरमा, रामगढ़, सिमडेगा, गिरिडीह, चतरा, लोहरदगा, धनबाद, गढ़वा, लातेहार, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा	09.01.2017	17.01.2017	13.01.2017	20.01.2017

- 1) एक या सभी विषयों के लिए परीक्षा शुल्क : ₹500.00      2) अनुमति शुल्क : ₹400.00      3) परीक्षा प्रपत्र शुल्क : ₹80.00  
4) विलम्ब शुल्क : ₹200.00      5) विविध शुल्क : ₹25.00

समुन्नत परीक्षा के छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन प्रपत्र एवं समेकित विवरणी पूर्व वर्ष की तरह अलग से तैयार किया जाय तथा उनके क्रमांक का आवंटन विज्ञान, वाणिज्य एवं कला के लिए क्रमशः 40001; 50001 एवं 60001 से प्रारम्भ किया जाय तथा समुन्नत के छात्र/छात्राओं के परीक्षा के परीक्षा आवेदन प्रपत्र के साथ गतवर्ष का प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति अवश्यक संलग्न किया जाए।

नोट: 1) परीक्षा आवेदन पत्र एवं समेकित सूची पूरी सावधानी के साथ भरा जाय। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके लिए संबंधित परीक्षार्थी एवं संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य जिम्मेवार होंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(रजनीकान्त वर्मा)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/विज्ञप्ति/4290/10/SECY/492/16, Dt. 17.12.2016

D.O.P : 18.12.2016